रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2016/आश्विन 28, 1938
No. 730] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2016/ASVINA 28, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2016

सं. 2/2016- स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 991(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पहली अक्तूबर, 2016 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है:-

1. **खेती करने के स्थान**

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. **कृषि हेतु पात्रता**

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन निम्नलिखित अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2015-16 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में औसतन अफीम की उपज कम से कम **49 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर** तथा उत्तर प्रदेश में **47 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर** की औसत अफीम उपज सौंपी थी।

टिप्पणी :- अफीम की किग्रा प्रति हेक्टेयर में औसत अर्हक उपज को, इसके पश्चात अधिसूचना में न्यूनतम अर्हक उपज के रूप में माना जाएगा।

(ii) किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, **परन्तु जिन्होने इसी तरह फसल वर्ष 2012-13 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की।**

(iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2015-16 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।

(iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2013-14 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो।

(v) किसान जो दिवंगत किसानों के कानूनन वारिस हैं और यदि एक से अधिक ऐसे कानूनन वारिस हैं तो उनमें से एक जिसको लाइसेंस के उद्देश्य के लिये जिला अफीम अधिकारी द्वारा कानूनी वारिस निर्धारित किया जाये।

2क. उपर्युक्त पैरा 2 की शर्तों के अनुसार अफीम पोस्त की खेती करने के लाइसेंस के पात्र किसानों के अलावा, निम्नलिखित किसान, इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन अफीम पोस्त की खेती करने के लाइसेंस पाने के पात्र होंगे।

(i) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2015-16 के दौरान अफीम जमा करवाई है तथा फसल वर्ष 2015-16 सहित पिछले लगातार पांच वर्षों के संबंध में कुल न्यूनतम अर्हक उपज (अगली फसल वर्ष में लाइसेंस दिए जाने के लिए निर्धारित) के 103 प्रतिशत के बराबर अथवा इससे अधिक कुल अफीम जमा करवाई है।

(ii) ऐसे किसान (उनके कानूनी वारिस सहित) जिन्हें फसल वर्ष 2004-2005 से डिलाइसेंस कर दिया गया था, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों,-

(क) किसानों को फसल वर्ष 2004-05 से किसी भी फसल वर्ष के संबंध में इस अधिसूचना के पैरा 3 में उल्लिखित किसी भी आधार पर डिलाइसेंस नहीं किया गया हो।

(ख) ऐसे किसान जिन्होंने पिछले लगातार 5 वर्ष कुल न्यूनतम अर्हक उपज (अगली फसल वर्ष के लिए लाइसेंस दिए जाने के लिए निर्धारित) के 103 प्रतिशत अथवा इससे अधिक कुल अफीम जमा करवाई हो। ये पांच वर्ष लाइसेंस रद्द किये जाने के पहले के वे वर्ष होंगे जिनमें औसतन अफीम जमा की गई हो। यदि लाइसेंस को किसी विधिक उत्तराधिकारी को अंतरित किया जाता है तो भी औसतन जमा की गई अफीम की संगणना में मृतक द्वारा जमा की गई अफीम को भी शामिल किया जाएगा।

(ग) कानून वारिस जिन्हें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के किसी भी अधिकारी द्वारा लाइसेंस दिए जाने से इनकार नहीं किया गया हो तथा इस प्रकार का आदेश अब तक अंतिम रूप से जारी कर दिया गया हो।

(घ) किसान ने, डिलाइसेंस होने से पूर्व 1997-98 के पश्चात न्यूनतम पांच वर्ष के लिए अफीम जमा करवाई हो।

स्पष्टीकरण -1 : पैरा 2क के प्रयोजन से यदि किसी फसल वर्ष के लिए एक से अधिक न्यूनतम अर्हक उपज निर्धारित की गई है तो कुल न्यूनतम अर्हक उपज की गणना के उद्देश्य से तो ऐसी न्यूनतम अर्हक उपज में से जो उपज कम होगी, पर विचार किया जाएगा, बशर्ते ऐसी कम न्यूनतम अर्हक उपज की घोषणा, उस फसल वर्ष के दौरान की गई हो।

स्पष्टीकरण 2 – पैरा 2क के प्रयोजन से डिलाइसेंस किए गए किसानों में वे किसान शामिल हैं जिन्होंने वर्ष 2003-04 अथवा इसके बाद के वर्षों में अफीम पोस्त की खेती की तथा वे बाद के फसल वर्ष में लाइसेंस पाने के पात्र थे तथा किसी कारण वश उन्होंने इसे प्राप्त नहीं किया।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:-

(i) उसने फसल वर्ष 2015-16 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो;

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो;

(iii) फसल वर्ष 2015-16 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो;

(iv) उसने फसल वर्ष 2015-16 के दौरान मिलावटी अफीम अथवा राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर द्वारा 'घटिया' के रूप में वर्गीकृत अफीम नहीं सौंपी हो, अर्थात ऐसी अफीम

(क) जिसकी मार्फिन सघनता शुष्क आधार पर 9 प्रतिशत से कम हो,

(ख) जिसमें राख 4.5 प्रतिशत से अधिक हो, तथा

(ग) जिसमें स्टॉर्च, चीनी, गोंद, टेनिन, मिल्क पाउडर आदि मौजूद हो।

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) दिनांक 22 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 1/2016 के उपवाक्य 2, 2क(i) के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र किसानों को **20 आरी** के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। तथापि उपवाक्य 2क(ii) के अंतर्गत आने वाले पात्र किसानों को **12 आरी** के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। ये किसान लाइसेंस दिए गए क्षेत्र से कम कितने भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।

(ii) किसान अधिकतम **दो** भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकते हैं;

(iii) यदि किसान चाहें तो दूसरों के स्वामित्व के भूखंडो को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जायेगी।

5. पूर्व चेतावनी

(i) आने वाले वर्ष 2017-18 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2016-17 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम औसत उपज और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम औसत उपज देना जरूरी है।

(ii) वर्ष 2016-17 के दौरान सौंपी गयी अफीम में शामिल मोर्फिन अवयव फसल वर्ष 2016-17 के लिये भुगतान का तथा फसल वर्ष फसल वर्ष 2017-18 में लाइसेंस हेतु पात्रता का आधार बन सकता है, यदि सरकार इस संबंध में ऐसा करने का निर्णय लेती है;

(iii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 2017-18 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि वे फसल वर्ष 2016-17 में भी पुन: अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो।

(iv) ऐसे किसान जिनकी फसल वर्ष 2016-17 की अफीम राजकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच अथवा गाजीपुर द्वारा मिलावटी पाई जाती है तथा घटिया के रूप में वर्गीकृत की जाती है वे अगले वर्ष 2017-18 में लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे। राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर निम्न 3 में से किन्हीं भी कारणों के आधार पर अफीम को घटिया गुणवता वाली घोषित करेगी-

(क) यदि अफीम की मार्फिन सघनता शुष्क आधार पर 9 प्रतिशत से कम हो,

(ख) यदि अफीम में राख 4.5 प्रतिशत से अधिक हो,

(ग) यदि अफीम में स्टॉर्च, चीनी, गोंद, टेनिन, मिल्क पाउडर आदि मौजूद हो।

(V) यदि भविष्य में सरकार अतिरिक्त लाइसेंस जारी करना चाहती है तो यह डिलाइसेंस किए गए उन किसानों को पुन: लाइसेंस दिए जाने पर विचार कर सकती है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में कुल न्यूनतम अर्हक उपज के 108 प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक कुल अफीम सौंपी हो।

6. माफी योग्य सीमा

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

(i) जो किसान वर्ष 2016-17 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भू-खंड पर अथवा दूसरों से पट्टे पर लिये गये भू-खंड पर करता है, भू-खंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।

(ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।

(iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

(iv) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।

(v) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी।

[फा. सं. 14011/5/2016-स्वापक नियंत्रण-I, पार्ट-1]

टी. के. सत्पथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2016

No. 2/2016-Narcotics Control-1

G.S.R. 991(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2016 and ending with the 30th day of September, 2017.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a licence to cultivate opium poppy:

(i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2015-16 and tendered an average yield of opium of not less than **49 kg/hectare** in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan and an average yield of opium of not less than **47 kg/hectare** in the State of Uttar Pradesh.

Note: Average qualifying yield of opium in kilograms per hectare will be termed as Minimum Qualifying Yield (MQY) in the notification hereinafter.

(ii) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop cultivated during the crop year 2013-14, 2014-15 & 2015-16 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, **but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2012-13.**

(iii) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2015-16.

(iv) Cultivators who cultivated opium poppy in the crop year 2013-14 or during any subsequent crop year and were eligible for a license in the following crop year, but did not voluntarily obtain a license for any reason, or who after having obtained a license for the following crop year, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.

(v) Cultivators who are the legal heirs of deceased eligible cultivators and in case there are more than one such legal heir, the one determined by the District Opium Officer as legal heir for the purpose of the license.

2A. In addition to cultivators eligible for license to cultivate opium poppy in terms of Para 2 above, following cultivators shall also be eligible for a license to cultivate opium poppy, subject to clause 3 and 7 of this notification.

(i) Cultivator who has tendered opium in the crop year 2015-16 and has tendered total opium equal to or more than 103 percent of the total of MQY (fixed for licensing in the next crop year) for last five consecutive tendered years including crop year 2015-16.

(ii) Cultivators (including their legal heirs) who were delicensed in the crop year 2004-05 onwards provided they fulfill the following conditions:

(a) The cultivator should not have been delicensed on any of the grounds mentioned in Para 3 of this Notification in any crop year starting from 2004-05 onwards.

(b) Cultivators who tendered total opium equal to or more than 103 percent of the total of MQY (fixed for licensing in the next crop year) for last five consecutive tendered years. Such five years would include average opium tendered in the year/years before year/years of such delicensing. In case of transfer of license to legal heir, tendering by deceased cultivators would be taken into account for computation of average opium tendered.

(c) Legal heirs who has not been refused license by any officer of Central Bureau of Narcotics and such order has since become final.

(d) Cultivator should have tendered opium for minimum of five years after crop year 1997-98 before being delicensed.

Explanation 1: For the purpose of Para 2A, if more than one MQY has been fixed for a crop year, then for the purpose of calculating total MQY, the MQY which is least of such MQY shall be considered, provided such least MQY has been declared under the currency of that crop year.

Explanation 2: For the purpose of para 2A, delicensed cultivators includes cultivators who cultivated opium poppy in the year 2003-04 or beyond and were eligible for obtaining license in the subsequent crop years but did not obtain it for any reason.

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

(i) He/She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2015-16 beyond the **5%** 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.

(ii) He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made there under.

(iii) He/she did not during the crop year 2015-16 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

(iv) He/she did not tender during 2015-16 adulterated opium or opium classified as 'inferior opium' by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch/Ghazipur, i.e. opium with -

a) morphine strength of less than 9% on dry basis,

b) ash content of over 4.5%,

c) any amount of starch, sugar, gum, tannin, milk powder, etc.

4. Maximum Area

(i) All eligible cultivators under Para 2, 2A (i) and Notification 1/2016 dated 22nd January, 2016 will be issued license for **20 Ares.** All eligible cultivators under Para 2A (ii) will be issued license for **12 Ares.** The cultivators can cultivate in any area less than the licensed area.

(ii) Cultivators can sow opium poppy in not more than **two** plots.

(iii) Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Forewarning

(i) A minimum qualifying yield of 60 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 54 kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop year 2016-17 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2017-18.

(ii) Morphine content of opium tendered during 2016-17 may become the basis for payment for the crop year 2016-17 and eligibility for license in crop year 2017-18, if the Government decides to do so in this regard.

(iii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2013-14, 14-15, and 2015-16 would not be entitled for license in the crop year 2017-18, if they also plough back their crop fully in the crop year 2016-17.

(iv) "Cultivators whose opium for the crop year 2016-17 is found to be adulterated or classified as 'inferior' by the Government Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will not be eligible for license in the next crop year 2017-18. The Government Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will declare the opium to be 'inferior' on any of the following three grounds:-

a) If the morphine strength of opium is less than 9% on dry basis,

b) If the opium has ash content of over 4.5%,

c) If there is any amount of starch, sugar, gum, tannin, milk powder, etc. present in the opium."

(v) **In future, if Government intends to grant additional licenses, it may consider re-licensing of delicensed cultivators who had tendered total opium equal to or more than 108 percent of total of MQY in last five tendered years.**

6. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation may be condoned.

7. Miscellaneous

(i) Any cultivator who cultivates opium poppy during 2016-17 in his own land or in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.

(ii) These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is

deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

(iii) The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may

be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.

(iv) The license shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for a license for the next crop year, if otherwise eligible.

(v) The quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur.

[F. No. 14011/5/2016-NC.l] (Part-1)]

T. K. SATPATHY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939
No. 371] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

सं. 2/2017-स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 466(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुपालन में केंद्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 2/2016-स्वापक नियंत्रण- I, जिसे सा.का.नि. 991 (अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिसूचना सं संदर्भित किया गया है) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उक्त अधिसूचना, सा.का.नि. 991 (अ) दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 में, पैराग्राफ 5(iv) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

   (iv) फसल वर्ष 2016-17 के वे अफीम कृषक अगली फसल वर्ष अर्थात 2017-18 के लिए लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे जिनकी फसल वर्ष 2016-17 की अफीम को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच या गाजीपुर ने अपमिश्रित या घटिया किस्म का पाया है। सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच या गाजीपुर किसी भी अफीम को घटिया किस्म की घोषित कर देगी यदि उसमें मार्फिन का अंश शुष्क आधार पर 9 प्रतिशत से कम पाया जाता है।

[फा. सं. 14011/05/2016-एनसी-1(पार्ट 1)]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 2/2016- स्वापक नियंत्रण-I को, सा.का.नि. संख्या 991(अ) दिनांक 20 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 15th May, 2017

No. 2 /2017 - NARCOTICS CONTROL - I

G.S.R. 466(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby makes following amendment in the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Notification No. 2/2016-Narcotic Control -1 *vide* G.S.R. 991(E) dated 20th October, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

1. In the said notification, No. G.S.R. 991(E) dated 20th October, 2016, the paragraph 5(iv) shall be substituted, namely:—

(iv) Cultivators whose opium for the crop year 2016-17 is found to be adulterated or classified as 'inferior' by the Government Opium & Alkaloid Works Neemuch or Ghazipur will not be eligible for license in the next crop year 2017-18. The Government Opium & Alkaloid Works Neemuch or Ghazipur will declare the opium to be 'inferior' if the morphine strength of opium is less than 9% on dry basis.

[F. No. N-14011/05/2016-NC-I (Pt.I)]

T.K. SATPATHY, Under Secy.

Note : The principal Notification No. 2/2016-Narcotic Control-1 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 991(E) dated 20th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.